



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]

नई दिल्ली, ब्रह्मपुत्रवार, नवम्बर 15, 2018/ कार्तिक 24, 1940

No. 362]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 2018/KARTIKA 24, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2018

सं. 45 / 2015–2020

विषय:—प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 2.54 में संशोधन।

फा. सं. 01/89/180/53/एएम-01/पीसी-2(ख) /ई-2382.—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015–2020) के पैरा 2.54 के उप-पैरा (v) (ii) में संशोधन करते हैं तथा रेडिएशन पोर्टल मॉनीटरों और कंटेनर स्कैनरों को अधिष्ठापित और प्रचालित करने की समय सीमा को 31.03.2019 तक आगे बढ़ाते हैं। तदनुसार संशोधित पैरा 2.54 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—

**पैरा 2.54 का संशोधित उप-पैरा (v) (ii)**

मौजूदा नामोदिदिष्ट समुद्री पत्तन नामतः चेन्नई, कोचिन, इन्नोर, जेएनपीटी, कांडला, मुरगांव, मुम्बई, न्यू मंगलोर, पारादीप, तुलीकोरिन, विशाखापत्तनम्, पिपाव, मुन्द्रा और कोलकाता को 31 मार्च, 2019 तक अखंडित स्क्रैप के आयात के लिए अनुमति होगी और तब तक उन्हें रेडिएशन पोर्टल मानीटरों और कंटेनर स्कैनरों को अधिष्ठापित

और प्रचालित करना होगा। ऐसे समुद्री पत्तनों जो समय-सीमा का पालन नहीं करते हैं, की 01.04.2019 से अखण्डित धार्तिक स्क्रॉप के आयात के प्रयोजन हेतु मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** नामोदिदिष्ट पत्तनों में रेडिएशन पोर्टल मानीटरों और कंटेनर स्कैनरों के अधिष्ठापन और प्रचालन की अवधि 31.03.2019 तक आगे बढ़ायी जाती है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 15th November, 2018

**No. 45/2015-2020**

**Subject:**— Amendment in Para 2.54 of the Handbook of Procedures, 2015-2020.

**F. No. 01/89/180/53/AM01/PC-2 (B)/e 2382.**—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby amends sub-para (v)(ii) of Para 2.54 of the Handbook of Procedure (2015-20) and extends the deadline to install and operationalize Radiation Portal Monitors and Container Scanners by 31.3.2019. Accordingly the revised Para 2.54 would read as under:

***Amended sub-para (v) (ii) of Para 2.54***

The existing designated sea ports namely Chennai, Cochin, Ennore, JNPT, Kandla, Mormugao, Mumbai, New Mangalore, Paradeep, Tuticorin, Vishakhapatnam, Pipava, Mundra and Kolkata will be allowed to import un-shredded scrap till 31<sup>st</sup> March, 2019 by which time they are required to install and operationalize Radiation Portal Monitors and Container Scanner. Such sea ports which fail to meet the deadline will be derecognised for the purpose of import of un-shredded metallic scrap w.e.f 1.4.2019.

**Effect of this Public Notice:** The period for installation and operationalisation of Radiation Portal Monitors and Container Scanner in the designated ports is extended up to 31.03.2019.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign  
Trade & Ex-Offices Addl. Secy.